झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–78 / 2020

अरूण सहिस उर्फ अरूण सशीष उर्फ अरूण शशी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री संजय कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए: श्री राम प्रकाश सिंह, ए0पी0पी0।

2 / 11.02.2020

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार पाण्डेय और राज्य की ओर से विद्वान ए0पी0पी0 श्री राम प्रकाश सिंह को सुना।

पूर्व में याचिकाकर्त्ता के जमानत हेतु प्रार्थना को बी0ए0 संख्या 8854 / 2018 में खारिज कर दिया गया था, याचिकाकर्त्ता इस स्वतंत्रता के साथ कि यदि विचारण समाप्त नहीं होता तो इस छः महीने के पश्चात् जमानत के लिए प्रार्थना को नवीनीकृत करने को स्वतंत्र होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सह–अभियुक्तों को जमानत प्रदान किया गया है। विचारण जारी है परन्तु छः साक्षियों का परीक्षण किया जाना अभी भी बाकी है। यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता दिनांक 05.11.2017 से अभिरक्षा में है।

हिरासत की अवधि और पूर्व में किये गये अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त नामित याचिकाकर्त्ता को 10,000/– रू0 (दस हजार रूपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, जमशेदपुर की संतुष्टि पर सोनारी थाना काण्डसंख्या 170/2017 से उद्भूत जी0आर0 संख्या 3064/2017 (एस0टी0 संख्या 128/2018) के संबंध में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। बशर्ते कि याचिकाकर्त्ता विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तिथि को, विचारण की समाप्ति तक शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)